अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को न कोई नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया। अपीलान्ट विवादित भूमि का जरिए बेचाननामे के रेकर्ड खातेदार है। इसके बावजूद अपीलान्ट को पक्षकार बनाये एवं प्रभावित पक्षकारा को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। वर्तमान मे विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो चुकि है। अतः रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि का किसी भी माध्यम से बेचान, हस्तान्तरण नही करेंगे।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अतः रेस्पोडेन्टस को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि का किसी भी माध्यम से बेचान, हस्तान्तरण नही करेंगे। स्थगन प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा मूल पत्रावली मे संलग्न हो।